Seventeenth Series, Vol. XXIV No. 23

Monday, April 03, 2023
Chaitra 13, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXIV contains Nos.21 to 25)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2023/1945 (Saka)
No. 23, Monday, April 03, 2023/ Chaitra 13, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	8
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 421 to 440 (31.03.2023)	9-86
Starred Question Nos.441 to 460 (03.04.2023)	87-153
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060 (31.03.2023)	154-709
Unstarred Question Nos. 5061-5290 (03.04.2023)	710-1419

.

PAPERS LAID ON THE TABLE	1420-1436
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	1437-1438
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	
118th to 129th Reports	1438-1440
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
21st Report	1441

MATTERS UNDER RULE 377 1441-1463

(i) Regarding compensation to farmers of Badaun Parliamentary Constituency for loss of their crops due to untimely rain and hailstorm

Dr. Sanghamitra Maurya 1442

(ii) Regarding compensation to farmers of Ganganagar Parliamentary Constituency for loss of crops due to heavy rain and hailstorm

Shri Nihal Chand Chouhan 1443

(iii) Regarding demands of Public Distribution shop dealers of Rohtas and Kaimur districts of Bihar

Shri Chhedi Paswan 1444

(iv) Regarding constructions around protected monuments w.r.t. section 20A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act

Dr. Sujay Vikhe Patil 1445

(v) Regarding alleged flouting of rules in excavation of iron ore in Kanker district, Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi 1446

(vi) Need to provide stoppage of train Nos. 22419/20, 15231/32 and 09065/66 at Kerakat Railway Station in Jaunpur district, Uttar Pradesh

Shri Bholanath 'B.P. Saroj' 1447

(vii) Regarding establishment of Mental Health Wellness Centres and Hospitals in Assam

Shrimati Queen Oja 1447

(viii) Regarding compensation to farmers in Bhilwara Parliamentary Constituency for loss of crops due to untimely rain and hailstorm

Shri Subhash Chandra Baheria 1448

(ix) Regarding setting up of an Immigration Centre at Kakrahawa near Indo-Nepal Border

Shri Jagdambika Pal 1449

(x) Need to take measures for proliferation of Farm Producer Organisation in Saran and Siwan districts of Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 1450

(xi) Regarding completion of Mohaba-Orai railway line

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 1451

(xii) Need to upgrade State Highway Nos. 2 and 26 in Rajasthan as National Highways

Shri Bhagirath Choudhary 1452

(xiii) Need to provide benefits of PM-Awas Scheme to people on priority basis who suffer loss and damage to their houses due to natural calamities

Dr. Dhal Singh Bisen 1453

(xiv) Need to ensure completion of Galudih left Main canal, part of Subernarekha Project in East Singhbum district, Jharkhand

Shri Bidyut Baran Mahato 1454

(xv) Regarding service conditions of Daily Rated Mazadoors (DRM's) in Andaman Public Works Department (APWD)

Shri Kuldeep Rai Sharma 1455

(xvi) Regarding establishment of a new Kendriya Vidyalya in Kottarakkara in Kollam district, Kerala

Shri Kodikunnil Suresh 1456

(xvii) Regarding dedicated railway service from Ludhiana to various destination in Rajasthan

Shri Ravneet Singh 1457

(xviii) Need to take urgent measures to tackle unemployment in the country

Shrimati Aparupa Poddar 1458

(xix) Regarding handling of unruly air passengers

Shri Bellana Chandra Sekhar 1459

(xx) Need to run a train from Mumbai to Pandharpur-Sangola in Maharashtra

Dr. Shrikant Eknath Shinde 1460

(xxi) Regarding compensation to farmers for loss of crops due to untimely rains and hailstorms

Shri Kaushlendra Kumar 1461

(xxii) Regarding utilization of CSR funds for development of amenities for public in Shrawasti and Balrampur districts, Uttar Pradesh

Shri Ramshiromani Verma 1462

(xxiii) Regarding construction of an elevated flyover at NH No. 66 in Kollam Parliamentary Constituency

Shri N.K. Premachandran 1463

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions (31.03.2023) 1444

Member-wise Index to Starred Questions (03.04.2023) 1445

Member-wise Index to Unstarred Questions (31.03.2023) 1446-1451

Member-wise Index to Unstarred Questions (03.04.2023) 1452-1458

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions (31.03.2023) 1459

Ministry-wise Index to Starred Questions (03.04.2023) 1460

Ministry-wise Index to Unstarred Questions (31.03.2023) 1461

Ministry-wise Index to Unstarred Questions (03.04.2023) 1462

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, April 03, 2023/ Chaitra 13, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुःख के साथ, मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री गिरीश भालचन्द्र बापट और हमारे एक पूर्व सहयोगी श्री इन्नोसेन्ट के निधन के बारे में सूचित करना है ।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सदस्य थे ।

श्री बापट प्राक्कलन समिति के सभापति थे । उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया ।

इससे पहले, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट पाँच बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे । उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया ।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट का निधन 72 वर्ष की आयु में 29 मार्च, 2023 को पुणे में हुआ ।

श्री इन्नोसेन्ट केरल के चालाकुडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोक सभा के सदस्य थे ।

श्री इन्नोसेन्ट कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति तथा रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के सदस्य रहे ।

श्री इन्नोसेन्ट ने मलयालम, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में 750 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया ।

श्री इन्नोसेन्ट का निधन 75 वर्ष की आयु में 26 मार्च, 2023 को कोच्चि में हुआ ।

यह सभा अपने सहयोगी तथा पूर्व सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है । यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है ।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी ।

11.01 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति: ।

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

{Starred Question Nos 421 to 440 (31.03.2023)
and 441 to 460 (03.04.2023)
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060 (31.03.2023)
and 5061 to 5290 (03.04.2023)}
(Page No. 10 to 1419)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

11.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

…(व्यवधान)

14.01 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

14.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 3 – श्री राव इंद्रजीत सिंह जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1261(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.1591(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1264(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.1199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9413/17/23]

(2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1118(अ) जो 9 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद में निर्वाचन के मामले में विवादों के अधिनिर्णय हेतु उसमें उल्लिखित, व्यक्तियों से मिलकर बने अधिकरण की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का.नि.198(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.170(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9414/17/23]

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.199(अ) जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9415/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर – 4.

श्री अश्विनी कुमार चौबे जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, मैं आपकी अनुमति से, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 1317(अ) जो 21 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बने केरल तटीय

क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9416/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नंबर 5

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9417/17/23]

(3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (प्रधानमंत्री संग्रहालय), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (प्रधानमंत्री संग्रहालय), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9418/17/23]

(5) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशिया अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद एशिया अध्ययन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9419/17/23]

(7) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9420/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9421/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Aviation University, Amethi, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Rajiv Gandhi National Aviation University, Amethi, for the year 2021-2022.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for

delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9422/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. 17/2023-सीमा-शुल्क जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं. 18/2023-सीमा-शुल्क जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.68(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 2 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 08/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.715 (अ) जो 15 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 16 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या 10/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.945 (अ) जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 2 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 12/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.1237 (अ) जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) 16 मार्च, 2023 की अधिसूचना संख्या 15/2023-सीमा-शुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9423/17/23]

(2) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3210(अ) जो 16 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''शून्य कूपन शून्य मूल लिखत'' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9424/17/23]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023 जो 15 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/128 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9425/17/23]

(4) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 9426/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर – 8.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, मैं आपकी अनुमति से श्री रामेश्वर तेली जी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगडी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9427/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 9.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी जी

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9428/17/23]

(3) (एक) पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9429/17/23]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, बिहार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा, बिहार के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9430/17/23]

(7) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9431/17/23]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डॉ. सुभाष सरकार**)**:** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9432/17/23]

(3) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9433/17/23]

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9434/17/23]

(7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9435/17/23]

(9) (एक) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के

वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9436/17/23]

(11) (एक) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9437/17/23]

(13) (एक) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9438/17/23]

(15) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9439/17/23]

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9440/17/23]

(19) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9441/17/23]

14.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 29th March, 2023 has adopted the enclosed motion concurring in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses of Parliament on the Bill further to amend the Forest (Conservation) Act, 1980. The names of the Members of the Rajya Sabha to serve on the said Joint Committee are set out in the motion.

MOTION

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee:-

1. Dr. Ashok Bajpai
2. Shri Anil Baluni
3. Shri Samir Oraon
4. Dr. C.M. Ramesh

5. Shri Jawhar Sircar
6. Dr. Prashanta Nanda
7. Shri Hishey Lachungpa
8. Shri Birendra Prasad Baishya

and two Members to be nominated by hon. Chairman, Rajya Sabha”.

The above motion was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, 29th March, 2023.

14.03¼ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
118th to 129th Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 118वां प्रतिवेदन।

(2) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 119वां प्रतिवेदन।

(3) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वार्षिक

प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 120वां प्रतिवेदन।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 121वां प्रतिवेदन।

(5) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 122वां प्रतिवेदन।

(6) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फदीराबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में 123वां प्रतिवेदन।

(7) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 82वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 88वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन।

(9) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 89वें

प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 126वां प्रतिवेदन।

(10) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 69वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(11) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 75वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(12) संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के बारे में समिति के 74वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

14.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
21st Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twenty-first Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifteenth Report of the Committee on the subject 'Welfare of Indian Diaspora: Policies/Schemes'.

14.04 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding Compensation to farmers of Badaun Parliamentary Constituency for loss of their crops due to untimely rain and hailstorm

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ऐसे में किसानों की चिंता करना हम सब का कर्तव्य है। विगत दिनों में प्रदेश में मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा है जब बारिश की जरूरत नहीं थी उस समय में अतिवर्षा, ओलावृष्टि और जब बारिश की जरूरत है तब सूखा की स्थिति बनी हुई है ऐसे धान, बाजरा की बुआई प्रभावित हो रही है और पूर्व में अतिवर्षा होने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र बदायूं जो कि भारत का मेंथा शहर के नाम से भी जाना जाता है वहां मेंथा की फसल का अत्यधिक नुकसान हुआ है ऐसे में मैं सरकार से चाहूंगी कि किसानों के हुए नुकसान का परीक्षण कराकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही प्रदेश में हुए फसल के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाए।

(ii) Regarding Compensation to farmers of Ganganagar Parliamentary Constituency for loss of crops due to heavy rain and hailstorm

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं सरकार का ध्यान जिला श्रीगंगानगर व जिला हनुमानगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में हुई भारी वर्षा और ओलावृष्टि की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके कारण वहां खेतों में खड़ी फसलों को अत्याधिक नुकसान पहुंचा है, जिसकी सीधी मार मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्नदाताओं पर पड़ रही है ।

पिछले कुछ दिनों में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिसकी सीधी मार गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसलों और सब्जियों पर पड़ी है और इस कारण यहाँ के किसानों को आर्थिक व मानसिक तौर पर परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। किसान अपना खून-पसीना एक करके पूरी मेहनत के बल पर फसलों को उगाता है और बेमौसम की मार से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है ।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई इस भारी वर्षा व ओलावृष्टि होने वाले नुकसान की भरपाई करने हेतु जल्द से जल्द राज्य सरकार से आंकड़े मंगवाकर राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को उचित मुआवजे की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें ।

(iii) Regarding demands of Public Distribution shop dealers of Rohtas and Kaimur districts of Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिला सहित राज्य के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के जीविकोपार्जन के लिए नीचे वर्णित छः सूत्री मांगों को संबंधित मंत्रालय द्वारा लागू कराने हेतु सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा की जाए।

जन वितरण विक्रेताओं का मांग पत्र निम्नवत है।

1. अन्य राज्यों के तरह जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रेता को सरकारी सेवक घोषित किया जाए एवं 30.000 (तीस हजार रू0) मानदेय या 300 (तीन सौ) रूपये प्रति क्विटल कमीशन दिया जाए।
2. पॉस मशीन से वितरण करने पर डीलरों को केन्द्र सरकार के द्वारा 27 रू0 मेन्टेनेंस चार्ज मिलता है, जो राज्य सरकार के द्वारा नही दिया जाता है, उसे डीलरों को दिलवाया जाए।
3. केन्द्र सरकार के द्वारा 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू किया गया है, तो अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सभी डीलरों को एक रूप में कमीशन दिया जाए।
4. पूर्व की तरह डीलरों को अनुकम्पा दिया जाए, जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं हो।
5. कोरोना काल के समय राशन वितरण करने के कार्यकाल में जो डीलर कोरोना से मृत हो गये हैं उनके आंश्रित परिवार को राजस्थान सरकार के तर्ज पर 50.00000 (पच्चास लाख रू0) का मुआवजा दिया जाए।
6. 2020 से नवम्बर 2022 तक का मार्जिन मनी एक मुश्त डीलरों को दिया जाए एवं माह दिसम्बर 2020, माह मई 2021 एवं माह दिसम्बर 2022 में डीलरों के द्वारा ड्राफ्ट का पैसा लगाया गया था जिसका राशन नहीं मिला उस पैसा को अविलंब एक मुस्त वापस किया जाए।

(iv) Regarding constructions around protected monuments w.r.t. section 20A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Problems are being faced by citizens who have inherited properties located in the vicinity of a protected monument which falls under the Archaeological Survey of India. The property owners are unable to construct, alter or modify the existing structure without the approval of Archaeological Survey of India due to the current provisions under the section 20A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act which were inserted by way of an amendment in 2010. There have been denial of permission to people having buildings or properties near the protected monuments and the concerned authority has not permitted any construction within prohibited area (within 100 metres) though they said that construction does not adversely affects the monuments. Due to refusal for permission for maintenance or renovation, several residential buildings have become structurally unsafe and in a dilapidated condition which make it prone to accidents and puts the life of the residents at risk. I request the Government to kindly ensure that necessary directions are given regarding construction within the prohibited area not adversely affecting the ancient and historical monuments and issue ordinance/notification to reduce the distance from 100m to 50 or 25m for allowing construction under Section 20A of the Act.

(v) Regarding alleged flouting of rules in excavation of iron ore in Kanker district, Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): एक निजी कंपनी के द्वारा तहसील भानुप्रतापपुर जिला- उ.ब. कांकेर, छ.ग. में नियम विरूद्ध खनन कार्य किया जा रहा है। बिना टीपी के लौह अयस्क का परिवहन करते पाया गया है। वनोपज जाँच नाका कच्चे द्वारा कार्यवाही की गई जिससे परिवहन का मामला उजागर हुआ तो कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय कथित रूप से जाँच नाका के कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई । किसानों के पट्टे वाली जमीन को बिना ग्रामीणों के सहमति से अधिग्रहण कर उत्खनन क्षेत्र को बढ़ाया गया है । लीज में ली गई भूमि के अतिरिक्त भूमि पर प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण किया गया है । माईंस एरिया से कथित रूप से गिट्टी मिक्सिंग कर अवैध रूप से ठेकेदारों को बेचा जा रहा है। परिवहन कार्य से धूल उड़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है । कृषकों की उपजाऊ जमीन खदान के लाल पानी की वजह से बंजर होती जा रही है। पर्यावरण का कथित रूप से खुला उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं के आधार पर नियम विरूद्ध किये जा रहे खनन कार्य को शीघ्र रोक लगाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

(vi) Need to provide stoppage of Train Nos. 22419/20, 15231/32 and 09065/66 at Kerakat Railway Station in Jaunpur district, Uttar Pradesh

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर, जनपद जौनपुर के अंतर्गत विधानसभा केराकत के केराकत रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रेनों के ठहराव की अति आवश्यकता है। काफी समय से वहां की जनता मांग करती आ रही है कि केराकत रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव किया जाये जिनका विवरण इस प्रकार से है (1.) गाड़ी संख्या 22419 तथा 22420 गाजीपुर - आनंदविहार एक्सप्रेस (2) गाड़ी संख्या 15231 तथा 15232 बरौनी-गोदिया (3.) एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 09065 तथा 09066 छपरा एक्सप्रेस। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन ट्रेनों का केराकत रेलवे स्टेशन पर ठहराव करने की कृपा करे।

(vii) Regarding establishment of Mental Health Wellness Centres and Hospitals in Assam

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि आज की व्यस्त जीवनशैली और भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है और मानसिक रोगी हो जाता है जिसका उसे पता ही नही चलता। नेशनल मेंटल हैल्थ सर्वे ऑफ इंण्डिया के अनुसार इसमें 45 साल के उपर के व्यक्ति ज्यादातर प्रभावित होते है। इनके ऑकडों के अनुसार प्रत्येक छठा भारतीय व्यक्ति इससे प्रभावित है। ऑकडों के अनुसार असम व मणिपुर के लोग इससे ज्यादा प्रभावित है विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार। असम राज्य में ज्यादा मानसिक अस्पताल न होने के कारण आमजन को काफी परेशानी होती है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि असम राज्य में विशेषकर, गुवाहटी में सरकारी मेंटल हैल्थ वैलनेस सेंटर व अस्पतालो का निर्माण किया जाए।

(viii) Regarding compensation to farmers in Bhilwara Parliamentary Constituency for loss of crops due to untimely rain and hailstorm

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा सहित पूरे राजस्थान में बे मौसम बरसात से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मार्च महीने में जब फसल तैयार होने का समय था तब मार्च माह में 10 से 12 दिन तक ओलावृष्टि एवं भारी बारिश से पहले तो खड़ी फसल को नुकसान हुआ और बाद में तैयार फसल जो खेत में पड़ी थी वो नष्ट हो गई। राज्य सरकार ने समय समय पर तत्काल गिरदावरी के आदेश तो दिये परन्तु किसानों को राहत के नाम पर कुछ नही मिला। किसानो में भारी निराशा व्याप्त है एवं गांवो में अवसाद की स्थिति देखी गई है। किसानों को तत्काल राहत दिया जाना आवश्यक है ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। मेरा आपदा राहत मंत्री महोदय एवं कृषि मंत्री महोदय से आग्रह है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देशित करे तथा आवश्यक हो तो भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल भिजवा कर बे मौसम हुई बरसात व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलो का किसानो को मुआवजा दिलवाये।

(ix) Regarding Setting up of an Immigration Center Kakrahawa near Indo-Nepal Border

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत और नेपाल 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और भारत परंपरागत रूप से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 साल पहले भारत सरकार ने नेपाल सीमा पर ककरहवा के पास लैंड कस्टम स्टेशन का उद्घाटन किया था। साथ ही ककरहवा लुंबिनी से मात्र 27 किमी दूर है। मैं सरकार को यह भी सूचित कराना चाहता हूं कि वर्तमान में ककरहवा में कोई इमिग्रेशन केंद्र नहीं है जिससे दोनों देशों के पर्यटकों और व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने और दोनों तरफ से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ककरहवा में एक इमिग्रेशन सेंटर खोलने की कृपा करें। इससे पर्यटन में सुधार और बौद्ध सर्किट के विकास में मदद मिलेगी। बौद्ध सर्किट के मार्ग में व्यापार सुविधाओं को आसान बनाने के लिए ककरहवा सीमा पर इमिग्रेशन केंद्र बनने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद होगा। इसके साथ ही दोनों ओर के व्यापारी कम लागत पर वस्तुओं का आयात और निर्यात कर पाएंगे और पर्यटक को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

(x) Need to take measures for proliferation of Farmer Producer Organisation in Saran and Siwan districts of Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार लगभग पूर्ण रूप से कृषक बाहुल्य क्षेत्र है। छोटे और सीमांत किसान तथा किसान मजदूरों की संस्था मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 80 से 85 % है। इन किसानों को अपने उत्पाद को बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही कृषि के लिए खाद-बीज एवं कीटनाशक दवाइयॉं इत्यादि इन्हें प्राप्त करने में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। इस परिस्थिति में हमारे क्षेत्र के किसान एकतरफा हानि उठाने के लिए मजबूर है। इस तरह ही इन्हें बिचौलियों का भी सहारा लेना पड़ता है, जिनसे इनके उत्पाद सीधा बाजार में नहीं पहुँच पाते है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के किसानों को मजबूत रूप से बढ़ावा और उनके आय को दुगुना करने हेतु किसान उत्पाद संगठन (FPO) अधिक से अधिक बनाने की आवश्यकता है।

अत: माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि सारण और सिवान जिलों के किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठन अधिक से अधिक बनाया जाये ।

(xi) Regarding completion of Mahoba-Orai railway line

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मै बुंदेलखंड से आता हूँ और यह आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रेल सड़क मार्गों के तेज विकास की नितांत आवश्यकता है। मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट 16-17 में उरई -महोबा रेल लाइन मंजूर की थी। इसके साथ बुंदेलखंड के विकास के लिए रेलवे द्वारा अन्य परियोजनाओं जैसे झासी -बीना लाइन परियोजना 155.75 कि0मी0,झासी - मानिकपुर दोहरी लाइन परियोजना - 411 कि0मी0, ललितपुर-बिरारी परियोजना -15.8कि0मी0 एवं धौलपुर झासी बीना 321 कि0मी0 परियोजना को भी रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी जो भारत सरकार की बुंदेलखंड में विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महोबा-उरई रेल मार्ग जो कि 90 कि0मी0 का है, इसकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है । 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी यह योजना लंबित है । यह योजना इस क्षेत्र में आवागमन हेतु नितांत आवश्यक है| रेल लाइन के बन जाने से महोबा - चरखारी - राठ - उरई के यात्रियों को बहुत अधिक सुविधा हो सकेगी।

मेरे द्वारा कई बार व्यक्तिगत रूप से और पत्राचार के माध्यम से इस योजना को शीघ्र पूर्ण कराने का आग्रह किया गया है और आज पुन: मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि महोबा- उरई रेल लाइन को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें जिससे न सिर्फ बुंदेलखंड का विकास होगा अपितु इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(xii) Need to upgrade State Highway Nos. 2 and 26 in Rajasthan as National Highways

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्टेट हाईवे संख्या 26 जो वर्तमान में एन.एच. 79 के समीप नसीराबाद बाईपास 20 किमी से प्रारंभ होकर सरवाड़ केकड़ी-सावर होते देवली तक जाकर एन.एच.12 टोंक-कोटा मार्ग 167 किमी पर मिलता है। इस स्टेट हाईवे 26 की कुल लम्बाई 99 किमी है जिसकी वर्तमान केरिजवे 7 मीटर चौडाई में है और एन.एच. 79 को एन.एच. 12 से आपस में मिलाता भी है। वहीं स्टेट हाईवे संख्या 2 जो वर्तमान में दौसा से कुचामन वाया लालसोट-चाकसू-फागी-मौजमाबाद-दूदू-नरैना एवं सांभर होते हुए जाता है। उक्त स्टेट हाईवे मार्ग पूर्वी राजस्थान के दौसा-भरतपुर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के नागौर को भी जोड़ रहा है।

इस प्रकार दोनो स्टेट हाईवे से वाहन चालकों को अत्यधिक समय, ईंधन एवं धन में मितव्ययता हो रही है, इसके साथ ही अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रेफिक का दबाव भी कम हुआ है और उक्त दोनो स्टेट हाईवे मार्ग पर आने जाने से आमजन एवं वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से लम्बी दूरी का रास्ता भी तय नहीं करना पड़ रहा है। यदि उक्त दोनो स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत कर दिये जाते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पंजाब राज्य आदि आने-जाने वाले साधन सीधे भरतपुर-आगरा-कानपुर आ-जा सकेंगे वहीं दूसरी ओर अजमेर का सीधा कोटा होते हुए ग्वालियर से कम दूरी होने के साथ-साथ सीधा जुड़ाव भी हो जाएगा। अतः स्टेट हाईवे सं. 26 नसीराबाद-केकडी-देवली एंव स्टेट हाईवे सं.02 दौसा- दूदू-नागौर को अविलम्ब राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रम्मोन्नत कराने की घोषणा कर मुझे अनुग्रहीत करावें।

(xiii) Need to provide benefits of PM-Awas Scheme to people on priority basis who suffer loss and damage to their houses due to natural calamities

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अतिवृष्टि, बाढ़ एवं तूफान से सैकड़ों मकान गिर जाते हैं। विगत वर्षो में ग्रामीण इलाकों में कई मकान गिर गये है या क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कई क्षतिग्रस्त मकान रहने योग्य नहीं रहते। ऐसे में गरीब एवं विशेषकर छोटे किसानों को भारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। वे अपना नया मकान बनाने में असमर्थ होते है और वे कर्ज आदि लेकर अपना मकान बनाने के लिए मजबूर होते है। मै आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ऐसे गरीब एवं किसानों को जिनके मकान अतिवृष्टि, तूफान आदि से गिर गये है उन्हें प्राथमिकता से मकान बनाये जाने हेतु राशि आवंटित की जाये। इस मामले में जिला कलेक्टर या दिशा कमेटी को अधिकार दिया जाये ताकि वे समय पर निर्णय लेकर उन्हें मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर सकें तथा तत्काल राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत मिलने वाली राशि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1.50 लाख को मिलाकर मकान बनाये जा सकें।

(xiv) Need to ensure completion of Galudih left Main canal, part of Subernarekha Project in East Singhbum district, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सुवर्णरेखा परियोजना के गालुडीह बाँयी मुख्य नहर के कि0मी0 7.03 से कि0मी0 10.23 के बीच विगत 9 वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण लगभग 65 कि०मी० लम्बे नहर से किसानों को उपलब्ध सिंचाई की सुविधा नहीं हो पा रही है। इस नहर के एक भाग का निर्माण कार्य M/S SEW Infrastructure Ltd. को वर्ष 2013-14 में रू0 85.00 करोड़ हेतु आवंटित किया गया था जिसे दो वर्ष में पूरा करना था। परंतु 9 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है तथा संबंधित के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त संबंध में मुख्य अभियंता चांडिल काम्पलेक्स जमशेदपुर के द्वारा मार्च 2022 में की गई अनुशंसा के आलोक में कार्य के संवेदक को जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पत्रांक 269, दिनांक 23.06.2022 द्वारा उक्त एंजेंसी को दिनांक 31.03.2023 तक समय की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि SBD इकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार इस कार्य के इकरारनामा को विखंडित कर जमानत की राशि जब्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति के उपरांत संवेदक को Escalation मद में बड़ी राशि का भुगतान कर कथित रूप से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। विदित है कि समय की वृद्धि होने के बाद भी उक्त संवेदक द्वारा कार्य को पूरा नहीं किया गया है।

अतः माननीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि किसानों की कठिनाईयों को देखते हुए उक्त कार्य को अविलंब पूरा किया जाय।

(xv) Regarding Service conditions of Daily Rated Mazadoors (DRM's) in Andaman Public Works Department (APWD)

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Andaman Public Works Department (APWD) employs regular staff, along with casual workers and persons on daily wages known as Daily Rated Mazadoor or DRM's. The APWD also undertakes the task of providing the islanders with drinking water, roads, and bridges. The DRM's however, are paid very less for which they approached the Calcutta high Court which had ordered that a daily-rated casual worker engaged by the Andaman and Nicobar administration in any of its department is entitled to 1/30th of the pay at the minimum of the relevant pay scale plus dearness allowance for work of eight hours a day, as specified by the Government of India. There are long standing demands to implement this judgment which has been upheld by the Division Bench of Calcutta High Court in December 2022. I request the Government to grant enhanced wage of 1/30th pay at minimum of relevant basic pay plus dearness Allowance to 2000 odd long service DRMS of APWD and all the DRMS working in various departments of A&N Administration w.e.f. 01.09.2017 who were left out for want of vacant sanctioned posts. In addition to this, I request the Government to regularize the services of all the DRMs.

(xvi) Regarding establishment of a new Kendriya Vidyalaya in Kottarakkara in Kollam District, Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The development and operationalizing of new Kendriya Vidyalaya in Kottarakkara, Kollam District, Kerala is neglected even after the State Government have transferred five acres of land to the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The temporary accommodation is handed over. Regional Commission of Kendriya Vidyalaya inspected the site alongwith Cental PWD officials as per rules.

It has been about a decade since the people of Kottarakkara taluk, which is a part of Mavelikkara Lok Sabha Constituency, are waiting for the functioning of this institution, that will provide an impetus to the educational requirements of Kottarakkara taluk and nearby areas in need of affordable and quality education.

I would urge the Union Ministry of Education to accord all necessary permissions for immediate functioning of the Kendriya Vidyalaya, Kottarakkara, on priority, so that students from the region can avail the services and gain from quality education at the earliest. Any delay in this matter is an injustice to the students desirous of availing affordable education as Kendriya Vidyalayas offer quality learning and open up a world of opportunities for students from varied backgrounds and address opportunities gaps.

(xvii) Regarding dedicated railway service from Ludhiana to various destinations in Rajasthan

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): The difficulties being faced by residents of my Parliamentary Constituency, Ludhiana in Punjab in undergoing rail journey to Rajasthan, especially Khatu Shyam Temple and Udaipur.

I may like to point out that a large number of railway passengers are conducting rail journey from Ludhiana to Khatu Shyam Mandir and Udaipur every year and have to change two or three trains to reach these destinations which besides being time consuming also make journey expensive. These two destinations of Khatu Shyam Mandir and Udaipur are extremely popular with people of Ludhiana for their religious value and also as a very attractive tourist destination. Besides, other important tourist spots like Chittorgarh, Ajmer, Mount Abu, etc. of Rajasthan are also very popular with the people of Ludhiana.

In this 75th year of our Independence when we are celebrating 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', it will be quite appropriate if a dedicated railway service from Ludhiana to these various destinations in Rajasthan especially Khatu Shyam Mandir and Udaipur is started as a gift to the people of Ludhiana and all other intervening cities which besides encouraging tourism can also enhance revenue by the Indian Railways.

(xviii) Need to take urgent measures to tackle unemployment in the country

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): High unemployment among the youth has now been termed as the biggest challenge for us. The pandemic caused livelihood losses everywhere. India has a large young and informal workforce which has suffered one of the deepest economic contractions due to the pandemic. While GDP recovered in 2021, unemployment has remained above its pre-pandemic levels, especially among young workers with higher unemployment rate compared to the rest of the working-age population. Even before the pandemic, 12 percent unemployment rate versus 7.6 percent in May 2019 and a much higher 17.5 percent compared to 7.9 percent among others in May 2021. Centre for Monitoring Indian Economy reported that the unemployment rate in the country was 7.91% in December against 7% in November. Half of the employed young workers became inactive or unemployed since 2020 compared to 20 percent of the national average which significantly affected mental health through higher levels of worry, frustration, disappointment, alienation and sadness which persists in adulthood, regardless of future employment. I, therefore , urge upon the Government that as unemployment has negatively influenced a person’s physical, financial and mental health it should urgently spend enormous resources on job creation and healthcare before it goes out of the situation.

(xix) Regarding handling of unruly air passengers

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) recently issued an advisory to the head of operations of all scheduled airlines with respect to handling unruly passengers on board, asking them to use 'restraining devices' when all others options have been exhausted. Regulating passenger behaviour on flights is necessary to ensure the safety and well-being of all passengers and crew on board. Unruly behaviour can include anything from verbal abuse and physical altercations to non-compliance with safety instructions and disregard for the rules of the airline. Such behaviour can cause disruptions to the flight, create a hostile environment for others on board, and even put the safety of the flight at risk. In this regard, Article 4 of the Montreal Protocol of 2014 to the Tokyo Convention of 1963 gives the State rights where the aircrafts lands jurisdiction over the offender, where the offence has been committed after embarkation and closing of aircraft doors. It follows that India can take the lead by enacting a statutory law to regulate passenger behaviour in planes which land and take off from Indian airports-irrespective of whether these airlines are registered within the country or not.

(xx) Need to run a train from Mumbai to Pandharpur - Sangola in Maharashtra

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): पंढरपुर यात्रा का हिंदुओं में काफी महत्व है और तीर्थ स्थल विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर यहाँ स्थित है। पिछले सात सौ वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस प्रसिद्ध मंदिर में महायात्रा का आयोजन होता है जिसमे देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते है। पंढरपुर की वारी, अर्थात् पंढरपुर में विराजमान भगवान विठोबा के दर्शन की यात्रा पैदल की जाती है और इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्री वारकरी कहलाते हैं। मुंबई और आस पास के जिलों में लाखों के संख्या में वरकारी संप्रदाय के श्रदालु निवास करते है जो इस मंदिर में पूजा करने के लिए पंढरपुर तक यात्रा करते है। वर्तमान में मुंबई से पंढरपुर तक प्रतिदिन चलने वाली कोई रेलगाड़ी नहीं है और श्रद्धालुओं को सड़क के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है। पंढरपुर के महत्त्व और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रतिदिन मुंबई से पंढरपुर-सांगोला के बीच विठ्ठल रुक्मिणी एक्सप्रेस नाम के ट्रैन की शुरुआत की जाए जिससे लाखों श्रद्धालुओं को विठ्ठल भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य मिले और इस ट्रैन का ठहराव दादर, ठाणे, कल्याण, कर्जत, लोनावला, पुणे, दौंड और कुर्डुवाडी स्टेशन पर दिया जाए।

(xxi) Regarding Compensation to farmers for loss of crops due to untimely rain and hailstorm

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। बेमौसम बारिश के कारण रबी की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है । बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बिहार समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में लगभग तैयार हो रही फसलें बर्वाद और नष्ट हो रही हैं । जहाँ अभी अगता खेती हुई है वहाँ तो करीब 50 प्रतिशत तक फसलों का नुकसान हुआ है । किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । कई किसान तो आत्म हत्या पर विवश हो गये हैं । खेतों को देखने के बाद किसान आहत नजर आ रहे हैं ।

यह आपदा केवल किसानों के लिए बर्वादी लेकर नहीं आया है, बल्कि देश के लिए भी चिन्ता का विषय है । वैसे ही पिछले वर्ष करीब 13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उत्पादन कम हुआ है । इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद थी, परन्तु उस पर भी ग्रहण लग गया है । अब गेहूँ की कमी देश में अनाज के भण्डार को कम कर देगा । मँहगाई और बढ़ेगी और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा । यह आपदा चारा की कमी भी पैदा करेगा ।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सभी आपदा प्रभावित राज्यों से नुकसान का ब्यौरा मँगवाकर किसानों की समुचित क्षतिपूर्ति की जाये । यह मामला बहुत ही गम्भीर है । इसलिए सरकार सहानुभूतिपूर्वक किसानों को मदद करने का कार्य करे ।

(xxii) Regarding utilization of CSR funds for development of amenities for public in Shrawasti and Balrampur districts, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते है जो विकास के मामलों में बहुत ही पिछड़े है। सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनियों और देश की टॉप मोस्ट प्राइवेट कंपनियों का (सीएसआर) का पैसा प्राथमिकता देकर ज्यादा से ज्यादा इन आकांक्षी जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए खर्च हो, इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने और HPCL, GAIL, ONGC, IREDA, RELIANCE कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कोई कारगर गाइडलाइन जारी / दिशा निर्देश देने की जरूरत है ताकि क्षेत्र की जनता को आधारभूत सेवाऐं एवं आधारभूत सुविधाएं इन दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर की आम जनता को हो सके और वे स्वाभिमानपूर्वक जीवन व्यापन कर सके।

(xxiii) Regarding construction of an elevated flyover at NH No. 66 in Kollam Parliamentary Constituency

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Chavara, Kottiyam, Chathanoor and Paripally are four major junctions in my Parliamentary Constituency Kollam. The NHAI proposed retaining earth wall at the aforesaid four major junctions. The proposal for retaining earth wall separates the major junctions. There are number of public institutions such as Government Offices, hospitals, educational institutions, religious institutions located on the both sides of the roads. The small traders totally depend on trading for livelihood have also been put into hardship. The construction of earth wall depriving the livelihood is against the basic principle of acquisition of land for development. The livelihood and convenience of local population is also important during the development of NH No. 66. The present proposal is totally against the local population. This will result in public unrest. Therefore, I urge upon the Government to construct elevated flyover at Chavara, Kottiyam, Chathanoor and Paripally similar to that constructed at Kazhakuttom in NH No. 66.

माननीय सभापति : आप प्लीज बैठ तो जाइये। बिल पर कुछ चर्चा हो जाए**,** कुछ काम हो जाए। यह उचित नहीं है। इस प्रकार से निरंतर बाधा उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats. Please co-operate.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सत्र लगभग समाप्ति पर आ गया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 05, 2023/Chaitra 15, 1945 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)